

Form No. III

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी










(मुकाम)


मारवाड़ जंक्शन

जसाराम बनाम ओगड को

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धार्य

काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 69 सन् 2014

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज | नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए |
|------------|---|---|
| 24.7.14 | <p>वकील वादी उपस्थित । वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत 53 88,920,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 12/8/2014 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन </p> | <p>509</p> <p>  जबावदार उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन </p> |
| 12/8/14 | <p>पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय, कास्किाट हो। अन्य कार्य से व्यस्त है/अभ्रमण पर है/ बैठक में पधारें हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आयन्दा दिनांक 29/10/2014 को पेश हो। वकील श्री नरेन्द्राकेह द्वारा प्रतिवादीगण को पत्रावली पेश किया जाकर दिनांक 2, 3, 9, 12, 13, 15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन </p> | <p>  जबावदार उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन </p> |
| 20/8/14 | <p>वकुलाय अनुपस्थित। आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 24/9/14 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मारवाड़ </p> | <p>  जबावदार उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन </p> <p>  जबावदार उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन </p> <p>  जबावदार उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन </p> <p>  जबावदार उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन </p> |

| तारीख हुक्मा | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए । |
|-----------------|--|--|
| 18/11/19 | <p>पतावली आज पेश हुई पतावली में दिनांक 10/10/17 को PIA समक पेश करने हेतु वकील वकील को निर्देशित किया गया है किंतु आदिनांक एक PIA समक पेश नहीं किया गया। साथ ही दिनांक 14/11/19 को अतिरिक्त अपील वाकिल PIA समक पेश करने हेतु दिशा जा चुका है किंतु आदिनांक एक आदेशों को पालना नहीं हुई तथा PIA समक पेश नहीं किया गया। PIA समक पेश के अभाव में दस्तावेज प्रकरण को अदालत 0-9-R-5 CPC के तहत खारिज किया जाता है। पतावली-कमल शुमार दोन नम्बर के काम है। निजीय आज दिनांक 18/11/19 को रजिस्टर -आशालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक जज मारवाड़ जज </p> | |

